

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट गुड़िया)

1. अल्लाबकश पुत्र श्री सतार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।  
-वादी

बनाम

1. खान मोहम्मद } पि0 गुलाम कादर जाति मुसलमान निवासी साबुआना तहसील टिब्बी  
2. अमानत अली } टिब्बी।  
-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या:-309/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-28.6.2018

वादी की ओर से श्री करनैलसिंह एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-चक नं.3 एस.बी.एन के प0न0 217/201 मु0 58 किला नं0 16/.253 है0 आराजी का वादी खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक नं0 3 एस.बी.एन के के खाता हाजा में से प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत गुड़िया में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेद सिंह रतनू)  
उपखण्ड अधिकारी,  
पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0